न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—516/2016/225 (2016/00516)

1. घासी पुत्र हीरा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती कमला पत्नी घीसा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र हीरा,
2. बलदेव पुत्र हीरा,
   जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तह0 किशनगढ, जिला अजमेर ।
3. गिरधारी पुत्री देवा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती अमरी पुत्री देवा पत्नी सहदेव, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
5. श्रीमती पानी पत्नी देवा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
6. सहदेव पुत्र गोरधन, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम आखरी, तहसील व जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ ।
8. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तिलोनिया जरिये शाखा प्रबंधक ।

रेस्पोडेंटस

9. श्रीमती कमला पत्नी घीसा, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बड़गांव, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंट

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 14.12.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 140/2016.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री दिनेश शर्मा, वकील प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 9.
3. रेस्पो0 संख्या 8 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7 .

निर्णय

दिनांकः— 23.11.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 14.12.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 8 एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 9 के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात ग्राम बड़गांव तहसील किशनगढ़ में स्थित आराजी खाता संख्या 59 जिसके खसरा नंबर 40/2 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है जिसका मौके पर विभाजन नहीं हो रखा है एवं संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है । इसी प्रकार खाता संख्या 90 के खसरा नंबर 40, 95, 96, 97, 168, 235 कुल किता 6 कुल रकबा 57 बीघा 13 बिस्वा में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादीगण का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का खसरा नंबर 95, 96, 97, 168, 235 में 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 का खसरा नंबर 40 में 1/2 हिस्सा है जिसका भी विभाजन नहीं हुआ है । इसलिये वादपत्र के पैरा संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजी का बंटवारा नहीं होने से आये दिन विवाद होता रहता है । अतः वाद स्वीकार कर वादपत्र में दर्शाये अनुसार बंटवारे की डिक्री पारित की जावे। उक्त वाद दिनांक 11.5.2016 को दर्ज किया गया । अपीलांटस की ओर से उनके अभिभाषक ने दिनांक 11.7.2016 को अभिभाषक पत्र प्रस्तुत कर दिया था जिन्हें आगामी तारीख पेशी दे दी गई लेकिन पत्रावली में अन्य तारीख पेशी अंकित कर प्रतिवादी/अपीलांटस की एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 30.8.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी । जिसकी जानकारी होने पर अपीलांटस ने आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर एकपक्षीय डिक्री दिनांक 30.8.2016 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2016 को खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने यह मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया कि उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री होकर बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है इसलिये प्रार्थी उक्त प्राथमिक डिक्री व विभाजन प्रस्ताव की अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी ने आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका रेस्पो0 के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया था । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं था क्योंकि अपीलांट के अभिभाषक ने स्वंय ने अपना शपथ पत्र पेश किया है जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 की ओर से दिनांक 11.7.2016 को वकालतनामा प्रस्तुत किया है तथा जवाब पेश करने हेतु आगामी पेशी दिनांक 5.8.2016 नियत की थी लेकिन पत्रावली की प्रोसिडिंग में अलग तारीख नियत कर दिनांक 26.7.2016 दर्ज कर सभी कार्यवाहियां गलत रूप से की गई है तथा उक्त तथ्यों की ताईद में स्वंय का शपथ पत्र पेश किया है जिसका कोई काउन्टर शपथ पत्र अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 निरस्त करने मे त्रुटि कारित की

है । अधी0न्याया0 ने जो निर्णय पारित किया है उसमें प्रत्येक के हिस्से को अलग अलग दर्शाते हुए अलग–अलग खसरा नंबर लगान कायम कर बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार को निर्देश दिये है जबकि जल्दबाजी में सारी कार्यवाही पटवारी हल्का द्वारा वादी के कहे अनुसार तैयार कर भिजवाई है । यही नहीं प्रतिवादी संख्या 1 घासी तथा प्रतिवादी संख्या 2 कमला का भी एक ही कुरेजात बना कर भेज दिया जिसमें कोई रास्ता नहीं दर्शाया है । यदि यह मान भी लिया जावे कि अधिवक्ता से गलती हो गयी है तो उसकी सजा पक्षकार को नहीं दी जानी चाहिये थी । अधी0न्याया0 को एकतरफा कार्यवाही निरस्त कर अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्राथमिक डिक्री पारित करनी चाहिये थी । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 14.12.2016 को निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2016 को निरस्त कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांटस को साक्ष्य, जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद में पुनः निर्णय पारित करे ।

5. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 9 ने अपीलांटस की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 26.7.2016 को अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 26.8.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की है । अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में उनके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 पेश कर कथन किया था कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वाद के सम्मन प्राप्त होने के उपरांत अपनी और से अभिभाषक श्री गोविन्दलाल पुरोहित को नियुक्त कर अभिभाषक पत्र हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करके दे दिया था जिसे अभिभाषक ने अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 11.7.2016 को प्रस्तुत कर दिया तथा जवाबदावा पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.8.2016 अपनी डायरी में अंकित की थी किन्तु उक्त वकालतनामा अधी0न्याया0 की पत्रावली में सहवन से शामिल नहीं हो सका । यह भी कथन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता को वाद में आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.8.2016 नोट कराई गई थी किन्तु बाद में सील लगाकर पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 26.7.2016 अंकित की गई है जाकर दिनांक 26.7.2016 को प्रतिवादी/अपीलांटस के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है । अपीलांटस/प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है । रेस्पो0/वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्रों में अंकित कथनों का खण्डन नहीं किया गया है एव ना ही अपीलांटस/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का ही खण्डन नहीं किया गया है। अपीलांटस अधिवक्ता ने अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 26.7.2016 का अवलोकन करवाते हुए अवगत कराया कि अधी0न्याया0 ने उक्त आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 8 का जवाबदावा पूर्व में प्राप्त होने का अंकन किया है किन्तु किस दिनांक को पेश हुआ यह अंकित नहीं किया है । जबकि इसी आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 3 से 6 द्वारा दिनांक 30.5.2016 को वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश करने का अंकन किया गया

है । अपीलांटस द्वारा भी दिनांक 11.7.2016 को वकालतनामा पेश कर जवाब हेतु समय चाहा गया था किन्तु सहवन से पत्रावली में सम्मिलित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 26.7.2016 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है जबकि अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को तारीख पेशी दिनांक 5.8.2016 अवगत कराई गई थी । अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2016 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अंकित हिस्सेनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी में बुरी भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, किशनगढ़ को कमीश्नर नियुक्त कर बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये थे । अधी0न्याया0 के उक्त निर्णय की पालना में प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में अपीलांट संख्या 1 घासी पुत्र हीरा एवं अपीलांट संख्या श्रीमती कमला पत्नि घासी दोनों का एक ही हिस्सा दर्शाया गया है जबकि राजस्व रिकार्ड में दोनों का अलग–अलग हिस्सा दर्ज है । इसलिये अपीलांटस घासी एवं श्रीमती कमला का भी हिस्सा अलग–अलग दर्शाया जाना चाहिये था तथा इसी अनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित की जानी चाहिये थी । उपरोक्त विवेचनानुसार अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2016 को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । न्यायहित में हम अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना उचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस तथा प्रार्थन पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 एवं पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2016 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.8.2016 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस को जवाब, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान प्रदान कर निर्णय में दिये गये विवेचन के कम में तहसीलदार स्वंय द्वारा तैयार कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर